कार्यवृत्त

बुधवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944

(दिनांक : 15 जून, 2022)

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

खण्ड–63
अंक–2

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज दिनांक 15 जून, 2022 की कार्यसूची में अल्पसूचित प्रश्न जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग से सम्बन्धित है, पर कल दिनांक 14 जून, 2022 के उपवेशन में नियम 58 की ग्राह्यता पर सुनते हुए व्यापक रूप से सम्पूर्ण विषय आ चुका है। अतः वे प्रश्नकर्ता सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य मा0 सदस्य को अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दे रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगी।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रही हैं। स्वीकृत सूचनाओं को निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया :–

1.	श्री शिव अरोरा,	विधान सभा रूद्रपुर शहर में गाबा चौक से डी.डी. चौक होते हुए तीन पानी तक (काशीपुर से किच्छा बाईपास) मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में। **(श्री शिव अरोरा का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)**
2.	श्री दुर्गेश्वर लाल,	जनपद उत्तरकाशी के यमुना घाटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
3.	श्री बिशन सिंह चुफाल,	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड डीडीहाट में ग्राम पंचायत हार्ट में चर्मा नदी पर बने हाईड्रम बन्द होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
4.	श्रीमती सविता कपूर,	विधान सभा क्षेत्र देहरादून कैन्ट के अन्तर्गत वार्ड 31 कौलागढ़, वार्ड 32 बल्लुपुर, वार्ड 33 यमुना कॉलोनी, वार्ड 34 गोविन्दगढ़, वार्ड 36 विजय पार्क, सीमाद्वार क्षेत्र में ट्यूबवेल निर्माण न होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
5.	श्री दीवान सिंह बिष्ट,	विधान सभा क्षेत्र रामनगर की वर्ग–03 की भूमि के नियमितीकरण की सर्किल दरें लघु एवं सूक्ष्म किसानों के लिए व्यवहारिक न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**

6.	हाजी सरवत करीम अंसारी,	जनपद हरिद्वार के मंगलौर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सिक्खर में बालिका महाविद्यालय में स्टाफ नियुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
7.	श्री शक्ति लाल शाह,	विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत नैलचामी गाड, भिलंगना नदी व बालगंगा नदी पर बाढ़ नियन्त्रण हेतु कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**

पूर्व समाज कल्याण मंत्री स्व0 श्री राम प्रसाद टम्टा के निधन पर मुख्यमंत्री एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने शोकोद्गार व्यक्त किये।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये :—

1. श्री चन्दन राम दास
2. श्री मौ0 शहजाद
3. श्री प्रीतम सिंह
4. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
5. श्री गोपाल सिंह राणा
6. श्री सुरेश गढ़िया
7. श्री सतपाल महाराज

श्री अध्यक्ष ने सदन की संवेदनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए शोकोद्गार व्यक्त किये। तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री मोहन सिंह माहरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद—अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी के अन्तर्गत धौलादेवी खेती मोटर मार्ग से ग्राम—माडम तक लिंक मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री हरीश राम, ग्राम—माडम, पो0—सौलासिलंग, जनपद—अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम—58 के अन्तर्गत 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य, मौ0 शहजाद, श्री रवि बहादुर एवं श्री गोपाल सिंह राणा, श्री विरेन्द्र कुमार एवं श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, श्री हरीश सिंह धामी एवं श्री मयूख महर की सूचनाओं को नियम—58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रही हैं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

विधान सभा बक्सर के अन्तर्गत ग्राम फतवा में किसान परिवार के घर में लूटपाट के सम्बन्ध में मा0 सदस्य मौ0 शहजाद ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री रवि बहादुर एवं श्री गोपाल सिंह राणा ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री विरेन्द्र जाति एवं श्री भुवन चन्द्र कापड़ी ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

जनपद पिथौरागढ़ में सैन्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीणों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह धामी एवं श्री मयूख महर ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

02:00 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता मे 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य, श्री भुवन चन्द्र कापडी, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री सुमित हृदयेश एवं श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित चार धाम यात्रा में अव्यवस्था विषयक सूचना पर विचार व्यक्त किये गये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष के भाषण से आरम्भ हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में अपने विचार व्यक्त किये :–

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान
2. श्री राम सिंह कैड़ा
3. श्री विनोद कण्डारी
4. श्री सुमित हृदयेश
5. श्री बृज भूषण गैरोला
6. श्री विक्रम सिंह नेगी
7. डा0 मोहन सिंह बिष्ट

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 22(1) (xv) व (2) में उपबंधित व्यवस्थानुसार कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) में राज्य विधान मंडल के प्रतिनिधि के रूप में विधान सभा के पांच माननीय सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य नामित करने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उपधारा 3 के खण्ड (ड) व (च) के अन्तर्गत उपबंधित व्यवस्थानुसार क्रमशः एक सुन्नी मुस्लिम राज्य विधान सभा सदस्य एवं एक शिया मुस्लिम राज्य विधान सभा सदस्य को परिषद् में नामित करने, यदि राज्य विधान सभा में कोई शिया सदस्य उपलब्ध न हो तो दो सुन्नी मुस्लिम विधायकों को, इसी प्रकार सुन्नी मुस्लिम विधायकों की अनुपलब्धता की स्थिति में दो शिया मुस्लिम विधायकों को उपधारा 5 के खण्ड (ख) में उपबंधित व्यवस्थानुसार परिषद् में सदस्य नामित करने, जिन्हें विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाने का प्रावधान है, हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री प्रदीप बत्रा की सूचना जो मा0 मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल पीर बाबा कॉलोनी को रेलवे स्टेशन से जोड़ने हेतु पैदल सेतु का शासनादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री महेश जीना की सूचना जो प्रदेश में वित्तपोषित एवं वित्तविहीन अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की भांति मानदेय न मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रही हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

पिछले 19, 20 वर्षों से दुर्गम/अतिदुर्गम रा0प्रा0वि0 में कार्यरत डी0एल0एड0 प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को (स0अ0) के पदों पर कार्यरत औपबंधिक शिक्षा मित्रों के समान वेतन न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2022 को दी गयी सूचना पर मा0 शिक्षा मंत्री ने नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य दिया। मा0 सदस्य द्वारा पूछने पर मा0 मंत्री ने स्पष्टीकारक वक्तव्य दिया।

डोईवाला विधान सभा के अन्तर्गत अठूरवाला में टिहरी बांध से विस्थापितों के लिये अठूरवाला कन्या विद्यालय का नाम सोना देवी कन्या विद्यालय सुनार गाँव अठूरवाला करने के सम्बन्ध में श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2022 को दी गयी सूचना पर मा0 शिक्षा मंत्री ने नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

देहरादून :
दिनांक : 15 जून, 2022

मुकेश सिंघल,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

ऋतु खण्डूड़ी भूषण,
अध्यक्ष,
विधान सभा।